विविध **बैंक प्रकरण संख्या 47/2022**(GCMS : 2022/75) **एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. पूर्व में एयू फाईनेंसर्स इंडिया (लि.)** रजि. ऑफिस 19 ए धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर –3020001 स्थानीय ऑफिस नजदकी मीरा चौक, जवाहनरगर, श्रीगंगानगर द्वारा अधिकृत प्राधिकारी मयंक मुंजराल निवासी श्रीगंगानगर **बनाम 1. मै. न्यू भारत बर्तन भंडार द्वारा** भागीदार राजेश कुमार बाघला एवं दीपक सिडाना मुख्य बाजार नजदीक अशोक रेडियो, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर **2. राजेश कुमार बाघला पुत्र काशीराम** निवासी वार्ड नं0. 08 वेयरहाउस रोड, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर **3. दीपक कुमार सिडाना पुत्र** राजेन्द्र कुमार निवासी वार्ड नं 13, 1 एम अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर **4. राजीव कुमार सिडाना** पुत्र राजेन्द्र कुमार सिडाना निवासी वार्ड नं. 19, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर **5. दर्शना सिडाना** पत्नि नरेंन्द्र कुमार सिडाना निवासी बी–5, स्टॉफ कॉलोनी, ओरियंट सिंटेक्स, एसपी–147, इंडस्ट्रीयल ऐरिया, भिवाडी इंडस्ट्रीयल ऐरिया, अलवर फॉर न्यू भिवाडी अलवर –राजस्थान – 301019 **6. नरेन्द्र कुमार सिडाना** पुत्र कशमीरी लाल सिडाना बी–5, स्टॉफ कोलीनी, ओरियंट सिंटेक्स, एसपी–147, इंडस्ट्रीयल ऐरिया, चन्दपुरा अलवर राजस्थान–301019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

04.05.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री संजय भाटिया उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 21.03.2022 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मै. न्यू भारत बर्तन भंडार, राजेश कुमार बाघला, दीपक कुमार सिडाना, राजीव कुमार सिडाना, दर्शना सिडाना, नरेन्द्र कुमार सिडाना को ऋण सुविधा के रूप में 10.00/– लाख़ रूपये (अखरे रूपये दस लाख मात्र) को ... दिनांक ...2018 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ... सिडाना एवं नरेन्द्र कुमार सिड़ाना ने अपनी संपत्ति वार्ड नं. 13 (क्षेत्रफल 36 x 45 फुट) मंडी, अनूपगढ तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:23:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 29.11.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 01.12.2021 को 8,91,136 / —रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है **जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 02.12.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया।** धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस पर अप्रार्थीगण मै. न्यू भारत बर्तन भंडार, राजेश कुमार बाघला, दीपक कुमार सिडाना, राजीव कुमार सिडाना, दर्शना सिडाना, नरेन्द्र कुमार सिडाना को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 03.12.2021 को भिजवाये गये है **इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी दर्शना सिडाना एवं नरेन्द्र कुमार सिड़ाना द्वारा प्रार्थी बैंक के पास अपनी संपत्ति वार्ड नं. 13 (क्षेत्रफल 36 गुणा 45 फुट) मंडी, अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** मै. न्यू भारत बर्तन भंडार, राजेश कुमार बाघला, दीपक कुमार सिडाना, राजीव कुमार सिडाना, दर्शना सिडाना, नरेन्द्र कुमार सिडाना को 10.00 / —लाख रूपये (अखरे स[illegible] द[illegible] लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति 28.07.2018 को **प्रदान की थी।** [illegible] सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी दर्शना सिडाना एवं नरेन्द्र कुमार सि[illegible]ना **द्वारा सुरक्षा की एवज में अपनी**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:23:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

सम्पत्ति वार्ड नं. 13 (क्षेत्रफल 36 गुणा 45 फुट) मंडी, अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **29.11.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 02.12.2021 को जारी किये गये है तथा पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 03.12.2021 को भिजवाया गया, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी दर्शना सिडाना एवं नरेन्द्र कुमार सिड़ाना द्वारा अपनी सम्पत्ति वार्ड नं. 13 (क्षेत्रफल 36 गुणा 45 फुट) मंडी अनूपगढ, तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्यवाही करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 02.12.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 02.12.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:23:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 03.12.2021 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी अमित कुमार के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेंस लि. (पूर्व में एयू फाईनेंसर्स इंडिया लि.) का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी दर्शना सिडाना एवं नरेन्द्र कुमार सिड़ाना द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई सम्पत्ति वार्ड नं. 13 (क्षेत्रफल 36 गुणा 45 फुट) मंडी, अनूपगढ तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04.05.202[illegible] ... के द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:23:40 IST
Reason: SelfAttested

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर